न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 64/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/79

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, होस्पिटल चौराया छोटा डुगरा, तहसील– कुशलगढ, बांसवाडा
2. अल्का वसानिया मैसर्स– अपूर्वा फूड प्रोडेक्ट 1/49 सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाडा
3. मानाराम देवासी मैसर्स– रामदेव गृह उद्योग श्री सुंधा नगर राजपुरा रोड तख्तगढ़ सुमेरपुर पाली

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 16–01–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02–03–2022 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, होस्पिटल चौराया छोटा डुगरा, तहसील– कुशलगढ, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste) के 20 पैकेट** प्रत्येक पैकेट 400 ग्राम का आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 320 रु. विक्रेता को चुका कर [illegible] विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक [illegible] खरीदशुदा **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** के पैकेट पर तै[illegible] किये गये लेबल, जिस[illegible]ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-966** लिखा व

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मूने का विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक तथा गवाहान के भी स्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/97–98 दिनांक 24–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 274 दिनांक 15–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** का नमुना कोड क्रमांक **W-966** Misbranded under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19.12.2022 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 ने एवं दिनांक 16.01.2023 का अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/97–98 दिनांक 24–03–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 274 दिनांक 15–03–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** का नमूना कोड क्रमांक W-966 Misbranded under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत मिसब्राण्डेड **Marwadi Athana Mirchi (Brand- Real Taste)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। आरोपीगण सं. 1 व 3 को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर दिनांक 19.12.2022 को अप्रार्थी सं.1. **नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित मैसर्स– श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, होस्पिटल चौराया छोटा डुगरा, तहसील– कुशलगढ, बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), अप्रार्थी सं. 3. मानाराम देवासी मैसर्स– रामदेव गृह उद्योग श्री सुंधा नगर राजपुरा रोड तख्तगढ़ सुमेरपुर पाली को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

आरोपी सं. 2 को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **अल्का वसानिया मैसर्स– अपूर्वा फूड प्रोडेक्ट 1/49 सुभाष नगर कॉलेज रोड बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र),** के अर्थ दण्ड से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.02.14 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)